–::न्यायालय उप जिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::–

बइलास राजेश डागा (आर .ए.एस.)

मिसल न0 / तारीख दायरा:–

बउनवान

सरोज पुत्री भीमसिंह पत्नि रघुराज सिंह जाति राजपूत निवासी टोडीपाड़ा साँगोद हाल निवासी 54 चित्रा डेयरी के पास रामचन्द्रपुरा कोटा जिला कोटा राजस्थान।

–वादनी–

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–प्रतिवादी–

वाद अर्न्तगत धारा 88.89 आर टी एक्ट
बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्जी

उपस्थितिः–
वादी की ओर से :– श्री किशोरी लाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– पैरोकार सरकार।

दिनांक :– 11-2-2023

–::निर्णय ::–

संक्षेप मे प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है, कि वादनी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील साँगोद जिला कोटा मे संवत 2074 से 2077 अनुसार खाता सं0 नई 99 के खसरा नं0 24 की 0.31 हेक्टर, खसरा नं0 25की 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 26 की 1.80 हेक्टर, खसरा नं0 27 की 0.01 हेक्टर, खसरा नं0 28 की 6.35 हेक्टर, कुल 5 किता की कुल 8.53 हेक्टर आराजी स्थित है, जिसमे वादीनी का 8/63 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। यहकि वादीनी का विवाह का विवाह होने के बाद वादीनी के ससुराल मे बनाये गये आधार कार्ड आदि मे वादीनी का नाम सरोज दर्ज है, तथा वादीनी के विवाह के काफी समय बाद वादीनी के पिताजी की मृत्यु होने पर उनका नामान्तरण खुलवाने पर वादीनी का घर का बोलता नाम स्वरूपबाई पुत्री भीमसिंह दर्ज कर दिया गया है। जो वादीनी का घर का बोलता नाम है, वादीनी का वास्तविक नाम सरोज है। यहकि वादीनी द्वारा अपने हिस्से की आराजी पर कृषि ऋण आदि प्राप्त करने कें लिये राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की, तो वादीनी की जानकारी मे आया, कि वादीनी का नाम उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड

2.....

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

मे घर का बोलता नाम स्वरूपबाई पुत्री भीमसिंह दर्ज हो रहा है, तथा आधार कार्ड आदि मे वादीनी का नाम सरोज है, जिसकसे वादीनी को बैंक द्वारा कृषि ऋण आदि देने मे भी असमर्थता जाहिर की, साथ ही वादीनी को अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने व सरकार से मिलने वाली सहायता/ अनुदान से भी वंचित होना पड रहा है, जिसके बाद उक्त वादग्रस्त आराजी मे निहित वादीनी के हिस्से की आराजी को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त कर मुआवजा राशि का चैक स्वरूपबाई के नाम जारी करने व बैंक खाते मे सरोज नाम दर्ज होने से उक्त मुआवजा राशि भी प्राप्त करने मे परेशानी आ रही है, जिससे वादीनी द्वारा पटवारी हल्का महोदय से वादीनी के घर के बोलते नाम स्वरूपबाई को दुरस्त कर वर्तमान मे प्रचलित व वास्तविक नाम सरोज दर्ज करने का निवेदन किया, तो पटवारी हल्का महोदय द्वारा न्यायालय से आदेश लाने की कहकर नाम दुरस्त करने से मना कर दिया है, ऐसी स्थिति मे वादीनी के लिए माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यहकि वाद कारण आज से करीब 1 माह पूर्व उक्त नाम दुरस्त करने की कहने पर पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय से आदेश लाने की कहकर नाम दुरस्त करने से मना कर देने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न हुआ है। यहकि अन्य सहहिस्सेदार के विरूद्ध कोई सहायता नही मांगने व उनका हिस्सा व हित प्रभावित नही होने से उक्त वाद मे पक्षकार नही बनाया गया है। यहकि वादग्रस्त आराजी माल ग्राम बोरदा तहसील साँगोद मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार दोनो प्राप्त है। यहकि वाद वास्ते घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती हेतु वाद का मूल्यांकन 1000 रूपये नियत किया जाकर उक्त वाद अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी के ह कमे व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आश्य की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि:—

1) यहकि वादीनी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील साँगोद जिला कोटा मे नकल जमाबन्दी संवत 2074से 2077 अनुसारखाता सं0 नई 99 के खसरा नं0 24 की 0.31 हेक्टर, खसरा नं0 25की 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 26 की 1.80 हेक्टर, खसरा नं0 27 की 0.01 हेक्टर, खसरा नं0 28 की 6.35 हेक्टर, कुल 5 किता की कुल 8.53 हेक्टर आराजी मे दर्ज वादीनी के घर के बोलते नाम स्वरूपवाई के स्थान पर सरोज दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे स्वरूपवाई के स्थान पर सरोज पुत्री भीमसिंह दर्ज किये जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे, इस आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री पारित फरमायी जावे।

वादीनी का वाद प्रस्तुत हाने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर कोई राजहित प्रभाविज नही होने बाबत अपनी सहमति प्रदान की गई। तदुपरान्त वहस वादी सुनी गई,

3.....

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

जिसमे वकील वादी द्वारा वाद के तथ्यों को दौहराया गया, तथा वादीनी की 3 बहिनो जिनका नाम उक्त आराजीयात मे है से पहचान बाबत् शपथ पत्र दिया और उक्त वाद को डिक्री करने की प्रार्थना की गई । मैने उक्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने से पाया, कि पत्रावली मे जो दस्तावेज जवाब सरकार प्रतिवादी उपलब्ध है, उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्य से यह प्रतीत होता है, कि वादीनी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार कर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील साँगोद जिला कोटा मे नकल जमाबन्दी संवत 2074से 2077 अनुसारखाता सं0 नई 99 के खसरा नं0 24 की 0.31 हेक्टर, खसरा नं0 25की 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 26 की 1.80 हेक्टर, खसरा नं0 27 की 0.01 हेक्टर, खसरा नं0 28 की 6.35 हेक्टर, कुल 5 किता की कुल 8.53 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम स्वरूपबाई को दुरस्त कर सरोज दर्ज करने की घोषणा की डिक्री पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे वादी के गलत नाम को दुरस्त कर सरोज दर्ज किये जाने की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री सादिर पारित की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आर. ए. एस.
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 11-2-2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आर. ए. एस.
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई
आर. रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी

निर्णय बइलास राजेश डागा (आर .ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद मिसल नं0 94 / 202
तारीख दायरा:– 20.07.2022

बउनवान

सरोज पुत्री भीमसिंह पत्नि रघुराज सिंह जाति राजपूत निवासी टोडीपाड़ा साँगोद हाल निवासी 54 चित्रा डेयरी के पास रामचन्द्रपुरा कोटा जिला कोटा राजस्थान। –वादनी–

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। –प्रतिवादी–

।

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88.89 आर टी एक्ट</u>
<u>बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्जी</u>

दिनांक:– 11-2-2023

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा (आर. ए. एस.) व हाजरी श्री किशोरीलाल चौधरी एडवोकेट, एवं पैरोकार सरकार प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री .... मिन मुद्दायज पेश होकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील साँगोद जिला कोटा मे नकल जमाबन्दी संवत 2074से 2077 अनुसारखाता सं0 नई 99 के खसरा नं0 24 की 0.31 हेक्टर, खसरा नं0 25की 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 26 की 1.80 हेक्टर, खसरा नं0 27 की 0.01 हेक्टर, खसरा नं0 28 की 6.35 हेक्टर, कुल 5 किता की कुल 8.53 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम स्वरूपबाई को दुरस्त कर सरोज दर्ज करने की घोषणा की डिकी पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे वादी के गलत नाम को दुरस्त कर सरोज दर्ज किये जाने की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी पारित की जाती है।

(राजेश डागा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)